

क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 / 2015

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 18 / 02 / 2019

प्रति,

✓ कार्यपालन अभियंता,
MIS Cell,
स्टेट डाटा सेन्टर,
सिहावा भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साईट (Web Site) में अपलोड किये जाने बाबत।

संदर्भ :- अधीक्षण अभियंता (बोधी) के पत्र क्र. 581 / बो.प्र. / नि.स. / 2013 / 1920 दिनांक 15.02.2019

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर इस प्रकोष्ठ को अवगत करावें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(24 पृष्ठ)

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक / 02 / 2019

पृष्ठांकन क्रमांक 4112275 / 03 / छ.ग. / 2018 /
प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियंता (बोधी) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर, सिहावा भवन परिसर, रायपुर को संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ।

सहपत्र :- शून्य।

(सजल कुमार विश्वकर्मा)
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 581/बो.प्र./नि.स./2013/1920
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 15/02/2019

प्रति,

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- प्रथम अपील प्रकरणों के निराकरण आदेश की प्रति को वेब साइट (Web site) में अपलोड किये जाने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि प्रथम अपील प्रकरणों वर्षान्त 2018 (छायाप्रति संलग्न) के निराकरण आदेश की प्रति को सूचना के अधिकार "वेब साइट" में अपलोड किये जाने की कार्यवाही कराते हुए इस प्रकोष्ठ को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार
(23 पृष्ठ)

अधीक्षक अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 581/बो.प्र./नि.स./2013/
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 14/2 /02/2019

कार्यपालन अभियंता (MIS Cell) स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सूचना नल (वाचिक प्रति 2018)
के लिये प्रकृत करें।
15/2/19

हस्ता/-
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 132/बो.प्र./नि.स./2018/4858
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 21/03/2018

अपीलार्थी

श्री सिद्धेश्वर पाटनवार
उप-अभियंता (सेवानिवृत्त)
बी-1/202, डालफिन इम्प्रेस,
विधानसभा रोड, मोवा
रायपुर (छ.ग.)

— विरुद्ध —

प्रतिअपीलार्थी

श्री एस.के. विश्वकर्मा
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

1. श्री सिद्धेश्वर पाटनवार, उप-अभियंता (सेवानिवृत्त) द्वारा अपने ओवदन दि. 21.02.2018 के द्वारा जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर से मांगी गई तीन बिन्दुओं की अपूर्ण जानकारी दिये जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु अपीलीय कार्यालय में प्रस्तुत किए हैं।
2. प्रकरण के अवलोकन पश्चात् उभय पक्षों को प्रकरण की सुनवाई हेतु दि. 06.03.2018 को उपस्थित रहने हेतु आदेश जारी किये थे। सुनवाई हेतु जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए। अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक कार्य होने के कारण सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहने की सूचना देते हुए एक अवसर और दिये जाने के अनुरोध पर द्वितीय सुनवाई अवसर दिनांक 21.03.2018 को निर्धारित कर इसकी सूचना उभय पक्षों को दिया गया। उपरोक्त आदेश के पालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण पर सुनवाई की गई। अधीक्षक (स्थापना कक्ष) एवं सहायक उपस्थित हुए।
3. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि जो जानकारी हमें (स्थापना कक्ष) से प्राप्त हुई थी, अपीलार्थी को दिया गया है। अपीलार्थी श्री सिद्धेश्वर पाटनवार ने जानकारी दी है कि उन्हें बिन्दु क्र. अ से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई है। शेष बिन्दु ब एवं स से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जो पदोन्नति नियम, सेवाभर्ती नियम, गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने हेतु लिख पत्र तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पदोन्नति हेतु लिखे गये पत्रों की प्रतिलिपियां दिया जाना है। जो प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। वांछित उपलब्ध जानकारी तत्काल उन्हें दिलवाया जावे। कार्यालय अधीक्षक द्वारा भी इन्हें उपरोक्त जानकारी जो कार्यालय में उपलब्ध है, दिये जाने की सहमति प्रकट की है।
4. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्थापना कक्ष द्वारा अपीलार्थी द्वारा मांगे गये तीनों बिन्दुओं की जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय किए हैं किन्तु जानकारियां अभी उन्हें दिया जाना शेष है जो अपीलार्थी के स्पष्ट करने पर ही उन्हें पता लग सका है कि कौन-कौन जानकारी की अपीलार्थी को आवश्यकता है। अपीलार्थी को बिन्दु क्र. अ की जानकारी प्राप्त हो चुकी है और स बिन्दु की आंशिक जानकारी भी इन्हें दिया गया है। इन्हें उपअभियंताओं के पदोन्नति नियम, सेवाभर्ती नियम, गोपनीय प्रतिवेदन हेतु लिखे गये पत्रों तथा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पदोन्नति हेतु लिखे गये पत्रों की छायाप्रति की प्रति जो प्रमुख अभियंता कार्यालय में उपलब्ध है तत्काल नियमानुसार दिया जा सकता है।

5. अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि अपीलार्थी को स्थापना कक्ष से पैरा (4) के अनुसार वांछित जानकारी नियमानुसार दिलवाया जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

निर्गमित

सहपत्र :- शून्य

5/2/13
(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पू.क्र. 135/बो.प्र./नि.स./2018 /4659

रायपुर, दिनांक 21/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. श्री सिद्धेश्वर पाटनवार, उप-अभियंता (सेवानिवृत्त) , बी-1/202, डालफिन इम्प्रेस, विधानसभा रोड, मोवा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं संबंधित से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करने हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- शून्य

प्रतिलिपि क्र. 2 पंजीकृत डाक से

5/2/13
(बी.आर. लाड़िया)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर